

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2024/2398

दिनांक 05/08/2024

प्रार्थीगण :-

1. आदूराम
2. देरामाराम पि. भीयाराम
3. सोनी पत्नि भीयाराम, जाति जाट
- निवासी नेहरों की नाडी,
- तहसील धनाऊ, जिला बाड़मेर

विप्रार्थीगण :-

1. श्रीराम
2. पीराराम
3. धर्मराम पि. चेंनाराम
4. पेमाराम
5. सायबाराम पि. अणदाराम
6. हिमथाराम
7. दीपाराम पि. नगाराम
8. विरधाराम
9. मूलाराम
10. जयरूपाराम पि. अचलाराम,
- जाति जाट, निवासी ठाकर विरधासर नेहरों की नाडी,
- तहसील धनाऊ, जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज. भू. राजस्व अधिनियम  
वास्ते करने नेखमबंदी बाबत ।

राजस्व आवेदन सं. 40/2024

दिनांक : 05.08.2024

आदेश

तहसीलदार धनाऊ को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील धनाऊ, पटवार क्षेत्र नेहरो की नाडी के मौजा ठाकर विरधासर के खेत खसरा सं. 1195/1034 रकबा 02.0477 हैक्टेयर एवं खसरा सं. 1197/1058 रकबा 01.6107 हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई विन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमि की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करें।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है। प्रार्थीगण कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।



क्रमांक/भू.अ./2024/2399 to 2402  
सूचिका :-

1. तहसीलदार धनाऊ
2. प्रार्थीगण आदूराम वगैरा
3. विप्रार्थीगण श्रीराम वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड/धौरीमन्ना/धनाऊ/सेडवा

उपखण्ड अधिकारी  
चौहटन  
दिनांक 05/08/2024



(सुरजभान विश्वाई)  
उपखण्ड अधिकारी  
चौहटन